

06

**कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित**

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैदुन

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 92 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022
प्रति,

दिनांक 16/01/23

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- सिंगरौली जिले में बैढन -2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 2.6589 हे0 वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हे0) म0प्र0 जल निगम मर्यादित सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। प्रकरण क्रमांक-FP/MP/WATER/156031/2022

संदर्भ:- 1. आपका का पत्र क्र. 91 दिनांक 06.01.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र0 एफ-5/1205/2022/10-11/4310 दिनांक 11.10.2022

--00--

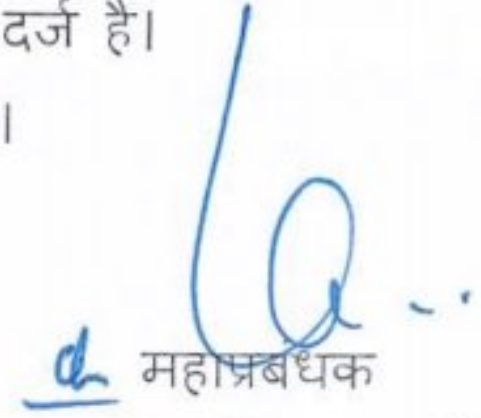
विषयांतर्गत लेख है सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चाहा गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	शर्तों के पालन का वचन	स्वीकृति
01	उपरोक्त पाइप लाइन की चौड़ाई 01 मीटर से अधिक एवं गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। यह पाइप लाइन सड़क के किनारे-किनारे आरओडब्ल्यू में ही डाली जावें।	मान्य है
02	Legal status of the forest land shall remain unchanged	Accepted
03	NPV: Net Present Value (NPV) amount of Rs. 25,46,641/- is to be paid for the 2.7116 ha forest area to be diverted under this prop[osal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dsted 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidliunes issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dsted 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2003-FC dated 05/02/2009 in this regard.	Accepted
04	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt if the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Accepted
05	User Agency shall restrict the no felling of trees.	Accepted
06	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	Accepted
07	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Accepted
08	The layout plan of the proposal shall no be changed without prior approval of Central Government.	Accepted
09	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Accepted
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Accepted
11	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. Of India.	Accepted
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidline F, No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	Accepted

13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Accepted
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	Accepted

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि 25,46,641/- ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा करा दी गई है चालान की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है एवं उस पर यूटीआर नं0 दर्ज है।

अतः अनुरोध है कि कृपया शीघ्र कार्य अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।



महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का

अधिकार

क्र0/मा0चि0/ 91
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक...06-01-2023

महाप्रबंधक

जल निगम मर्यादित

परियोजना कियान्वयन इकाई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत आर.ओ.डब्ल्यू. भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हे0) वनभूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग में देने बावत्। Proposal No. FP/MP/WATER/156031/2022

संदर्भ:-

प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-5/1205 /2022/10-11/4309 दिनांक 20.12.2022

-000-

विषयांकित सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आर.ओ.डब्ल्यू. पाइप लाइन डालने हेतु महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना कियान्वयन इकाई सिंगरौली को वन मण्डल सिंगरौली की प्रभावित वनभूमि रकवा 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हे0) के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। जिनमें वन परिक्षेत्र कर्तुआ का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 862, 795, 796, 867, 802, 848, 864, 866, 19, 16, 868, 871, 870 तथा पी.एफ. 880, 881, 847, 845, 841, 840, 875, 874, 873, 837 एवं वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 38, 43, 44, 12 कुल रकवा 3.1019 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन0पी0वी0 की राशि विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	मद का नाम	कैपा मद में जमा की जाने वाली योग्य राशि (रूपया)
1	2	3
1	नेट प्रेजेंट वैल्यू	25,46,641.00
	योग	25,46,641.00

3. एन0पी0वी0 की राशि रूपये 25,46,641.00 (पच्चीस लाख छियालिस हजार छः सौ इकतालिस रूपये मात्र) कैम्पा मद में भारत सरकार को वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

(मधु व्ही. राज IFS)

वन संरक्षक

पदेन वन मण्डल अधिकारी

सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक...06-01-2023

पृ0क्र0/मा0चि0/ 92

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सादर सम्प्रेषित।

वन संरक्षक

पदेन वन मण्डल अधिकारी

सिंगरौली

Manager
for mla
16/11/23



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का

अधिकार

क्र0/मा0चि0/ 91
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 06-01-2023

महाप्रबंधक

जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत आर.ओ.डब्ल्यू. भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हे0) वनभूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग में देने बावत्। Proposal No. FP/MP/WATER/156031/2022

संदर्भ:-

प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-5/1205 /2022/10-11/4309 दिनांक 20.12.2022

-000-

विषयांकित सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आर.ओ.डब्ल्यू. पाइप लाइन डालने हेतु महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को वन मण्डल सिंगरौली की प्रभावित वनभूमि रकवा 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हे0) के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। जिनमें वन परिक्षेत्र कर्तुआ का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 862, 795, 796, 867, 802, 848, 864, 866, 19, 16, 868, 871, 870 तथा पी.एफ. 880, 881, 847, 845, 841, 840, 875, 874, 873, 837 एवं वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्रमांक आर.एफ. 38, 43, 44, 12 कुल रकवा 3.1019 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन0पी0वी0 की राशि विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	मद का नाम	कैपा मद में जमा की जाने वाली योग्य राशि (रुपया)
1	2	3
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	25,46,641.00
	योग	25,46,641.00

3. एन0पी0वी0 की राशि रुपये 25,46,641.00 (पच्चीस लाख छियालिस हजार छः सौ इकतालिस रुपये मात्र) कैम्पा मद में भारत सरकार को वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. साथ ही प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

(मधु व्ही. राज IFS)

वन संरक्षक

पदेन वन मण्डल अधिकारी

सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 06-01-2023

पू0क्र0/मा0चि0/ 92

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सादर सम्प्रेषित।

वन संरक्षक

पदेन वन मण्डल अधिकारी

सिंगरौली



वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:- सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.6589 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 3.1019 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/156031/2022)

संदर्भ:- मुख्य वनसंरक्षक, रीवा का पत्र क्र/मा0चि0/2022/10150 दिनांक 15.12.2022

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मुख्य वनसंरक्षक रीवा ने विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

उपरोक्त प्रस्ताव ROW के तहत भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 22.08.2022 के अनुसार ROW में ऑप्टिकल फाइबर केवल लाईन, पानी की पाईप लाईन, विद्युत लाईन तथा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के अधिकार नोडल अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- उपरोक्त पाईप लाईन की चौड़ाई आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में आवेदन के अनुसार एवं गहराई 02 मीटर से अधिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह पाईप लाईन सड़क के किनारे-किनारे ROW में ही डाली जावे।
- 2- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 3- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 25,46,641/- is to be paid for the 2.6589 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 4- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 5- User agency shall restrict the no felling of trees.

-2-

E:\Rakesh\2022\ROW 2022.docx

Chitranshu

21/12/22



- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 10- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 13- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 14- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि 25,46,641/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1205/2022/10-11/4310
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 - 2- महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2023

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
Application No.	53156031886
MoEF/SG File No.	F-5/2022/10-11/
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	D- Wing, IInd floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal Bhopal
Amount(in Rs)	2546641/-

Amount in Words : Twenty-Five Lakh Forty-Six Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507653156031886 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2023

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
Application No.	53156031886
MoEF/SG File No.	F-5/2022/10-11/
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	D- Wing, IInd floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal Bhopal
Amount(in Rs)	2546641/-

Amount in Words : Twenty-Five Lakh Forty-Six Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507653156031886 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBINR 52023011326310083

Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit

Singrauli (M.P.)
Sushant K. Ekka, PF: 1307673

Q.No.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

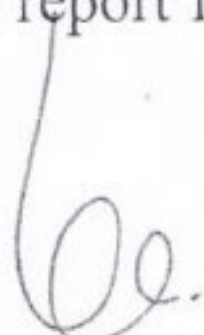
Office of the General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit, Singrauli

Office: Room No.44 1st floor collectorate office, Waidhan
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
E-mail-gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

Undertaking

I, Satish Gupta in capacity of General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU, Singrauli do hereby undertaking that the "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State government from the user agency".


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
P. I. U. Singrauli